(3)

केन्द्रीयविद्यालय,आयर वाराणसी (उ.प्र.)

KENDRIYAVIDYALAYA ,AAYER- VARANASI [U.P.]

नेहरु युवा केंद्र, अमर शहीद इंटरकॉलेज के पास ,पो.-आयर,जिला- वाराणसी (उ.प्र.)/NehruYuvaKendra,Near Amar Shaheed Inter College Po.-Aayer, Distt.-Varanasi (U.P.) – 221202
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,वाराणसी-संभाग/Kendriya Vidyalaya Sangathan, Varanasi-Region
शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार के अधीनएकस्वायत्तशासीसंस्था/An autonomous body under the Ministry of Education -Govt. Of India
E-mail :kvaayervaranasi@gmail.com Ph & Fax: 0542-2626311 Website : www.aayervaranasi.kvs.ac.in
School No : Affiliation No. : KV Code : 2395 Station Code : 869 Region Code : 30

फा. 43029/./के.वि.आयर/2020-21/103 दिनाँक : 03/11 /2020

सेवा मे ,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जनपद, वाराणसी

विषय : RTE 2010 के नियम 15 उप-नियम (4) के तहत मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के अंतर्गत आपसे विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुपालन में, RTE अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप-नियम (4) के अंतर्गत विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतएव आपसे निवेदन है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने कि कृपा करें।

सधन्यवाद

भवदीय

अभिषेक त्रिपाठी

(प्राचार्य)

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya
आयर/Aayer
वाराणसी-221202/Varanasi-221202

प्रति :

माननीय जिलाधिकारी वाराणसी, सह अध्यक्ष वि.प्र.स. के वि आयर वाराणसी को सादर सूचनार्थ

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

वाराणसी।

सेवा में,

प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय आयर

वाराणसी।

दिनाँक 03-03-2021

पत्रांकःमा0/ /2020–21

विषयः आर0टी0ई0 2010 के नियम 15 उप–नियम (4) के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांकःमा0/13878/2020–21 दिनांक 18.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो आर0टी0ई0 2010 के नियम 15 उप–नियम (4) के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उक्त के कम में पुनः अवगत कराना है कि विद्यालयों को मान्यता जारी करने के सम्बन्ध में समयान्तर्गत ट्रेजरी चालान/सुरक्षित कोष एवं आवश्यक पत्रजात/पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध कराने के पश्चात् क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति के बाद मान्यता बैठक में मान्यता समिति के निर्णय के उपरान्त ही मान्यता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है।

उक्त के कम में वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

वाराणसी।

पृ0सं0ःमा0/ 1963-64 /2020–21 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि खण्ड शिक्षा अधिकारी हरहुआ, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित पत्र प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय आयर वाराणसी कार्यालय में प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद तीन दिन के मध्य कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

वाराणसी।